न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या– 45/2021 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांकः– 17.06.2021

1. गंगाराम पुत्र लखमा उर्फ लखमीचन्द जाति गाडरी पूर्बिया आयु व्यस्क निवासी चान्दखेडा, तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

– प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल पिता बाबरुजी जाति कुमावत आयु व्यस्क निवासी चान्दखेडा, तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. मांगीलाल पिता श्रीलालजी जाति कुमावत आयु व्यस्क निवासी चान्दखेडा, तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. केसरीमल पिता किशनलाल जाति कुमावत आयु व्यस्क निवासी चान्दखेडा, तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा मण्डा गुलफरोशान प0ह0 रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 85 की आराजी नं0 1031 रकबा 0. 4000 हैक्टेयर, आराजी नं0 1032 रकबा 0.8900 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 1.2900 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिससे कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 3 की और से अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत ने जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 600/–रू0 फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा मण्डा गुलफरोशान प0ह0 रानीखेडा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 85 की आराजी नं0 1031 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, आराजी नं0 1032 रकबा 0.8900 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 1. 2900 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 17.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official